सं०सं०–1/भा०में०का०–04/2012–.....06.....(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषकः– **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,
भागलपुर।

पटना, दिनांक– 24/04/2012

विषयः–भागलपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर को विपत्र कोड–एन 2210051050010 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 10,87,12,200/– (दस करोड़ सतासी लाख बारह हजार दो सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत भागलपुर मेडिकल कॉलेज, को विपत्र कोड एन 2210051050010 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 10,87,12,200/– (दस करोड़ सतासी लाख बारह हजार दो सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0010–भागलपुर मेडिकल कॉलेज, माँग संख्या 20, विपत्र कोड–एन 2210051050010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

8. इस आवंटनादेश में मशीन एवं उपकरण ईकाई में 20,00,000/–(बीस लाख) रूपए की राशि भी समाहित है जो मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए दिया जा रहा है।
9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

20/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/भा०में०का०–04/2012–.....06.....(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक–24/04/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/ जिलाधिकारी, भागलपुर/ कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/5/12

भागलपुर मेडिकल कॉलेज विपत्र कोड एन 2210051050010 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि का आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	आवंटित राशि	शेष राशि
01 01 वेतन	60000000	54000000	6000000
01 02 विशेष वेतन	720000	648000	72000
01 03 जीवन यापन भत्ता	40000000	36000000	4000000
01 04 मकान किराया भत्ता	3215000	2893500	321500
01 06 चिकित्सा भत्ता	365000	328500	36500
01 07 अन्य भत्ता	33000	29700	3300
योग– वेतन एवं भत्ते	**104333000**	**93899700**	**10433300**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	100000	100000	0
11 01 यात्रा व्यय	100000	50000	50000
13 01 कार्यालय व्यय	4500000	2250000	2250000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	400000	200000	200000
13 03 दूरभाष	75000	37500	37500
13 04 विद्युत प्रभार	2300000	1150000	1150000
13 05 विधि प्रभार	100000	50000	50000
13 06 वर्दी/पोशाक	300000	150000	150000
14 01 किराया महसूल एवं कर	500000	250000	250000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	50000	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	2300000	1150000	1150000
21 02 दवा भण्डार	300000	150000	150000
27 01 लघु कार्य	0	0	0
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	30000000	0	30000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	10000000	5000000	5000000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	4350000	2175000	2175000
50 01 अन्य प्रभार	0	0	0
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	40000000	2000000	38000000
कुल योग :–	**199858000**	**108712200**	**80712500**

(दस करोड़ सतासी लाख बारह हजार दो सौ रूपए) मात्र

06(1)80
24-4-12

20/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/4/12